



## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० रिव्यू..... 1/16

रिव्यू-1012-116

श्री श्रीकृष्ण शर्मा ठाकुर

द्वारा आज दि. 26/3/16 को

प्रस्तुत

रतनसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति जाटव निवासी  
ग्राम नूरमपुरा तह० गोहद जिला भिण्ड  
म०प्र० .....आवेदक

बनाम

1- फूलसिंह 2-चिन्तेली 3-अमरसिंह

4-श्रीभाराम पुत्रगण बोबदी जाति काछी

निवासी ग्राम मधन तह० गोहद जिला भिण्ड  
म०प्र० .....अनावेदक

ब्लॉक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

श्रीकृष्ण शर्मा ठाकुर  
द्वारा आज दि. 26/3/16 को  
प्रस्तुत

पुर्नाविलोकन विरुद्ध आदेश दिनांक 20/01/2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर पीठासीन

अधिकारी महोदय श्री एम० के० सिंह सदस्य प्र०क० R 2352

-चार/2000 अन्तर्गत धारा 51 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि भूमि सर्वे क० 2रकवा 0.662 है० पटवारी कागजात में शासकीय अंकित होकर विवादित भूमि पर आवेदक का दिनांक 02/10/1984 के पूर्व से काबिज होकर कारस्त करता चला आ रहा है।
- 2- यह कि आवेदक द्वारा तहसीलदार महोदय गोहद के समक्ष एक आवेदन पत्र म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत विवादित भूमि को अपने नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर व्यवस्थापन हेतु प्रस्तुत किया जो प्र०क० 51/94-95× अ/19 पर पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर पारित आदेश दिनांक 28/04/1995 द्वारा विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम किया गया।
- 3- यह कि अनावेदक द्वारा तहसील के आदेश के विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद के समक्ष अवधि वाह्य अपील प्रस्तुत की जो प्र०क० 03/98-99 अपील पर पंजीबद्ध की जाकर पारित आदेश दिनांक 20/07/1999 द्वारा अनावेदक की अपील को इस आधार पर निरस्त किया कि म०प्र० कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना ( विशेष उपबन्ध ) अधिनियम 1984 के

श्रीकृष्ण शर्मा ठाकुर

श्रीकृष्ण शर्मा ठाकुर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1012 - एक/2016 पुनरावलोकन

जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
19.8.16.	<p>यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2352-चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के० शर्मा एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री एस०के० अवस्थी के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि नायब तहसीलदार गोहद ने प्र०क्र० 51 अ-19/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 28-4-1995 से आवेदक के हित में ग्राम मछन की भूमि सर्वे नंबर 11 रकबा 1.88 हेक्टर भूमि दखल रहित नियमों में व्यवस्थापित की है जिसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी 2-8-99 को अनुचित विलम्ब से दायर करके व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भूमि व्यवस्थापित होने के बाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाऊ बनाया है और सिंचाई का साधन बनाया है जिसमें उसके काफी रुपये खर्च हो गये हैं। आवेदक से यह भूमि शासन वापिस लेता है तो आवेदक कृषि श्रमिक होने के कारण बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पायेगा।</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्र0क0 1012 -एक/2016 पुनरावलोकन  
अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि नियम  
विरुद्ध भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध कभी भी निगरानी  
की जा सकती है काल सीमा की रूकावट नहीं है। आवेदक  
भूमि व्यवस्थापन के लिये पात्र नहीं है इसलिये कलेक्टर एवं  
आयुक्त के आदेश सही हैं। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर  
के आदेश दिनांक 20-1-16 में हस्तक्षेप न करने की मांग  
रखी गई।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने  
एवं राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक  
2352-चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक  
20 जनवरी, 2016 के अवलोकन पर पाया गया कि यह  
सही है कि नायब तहसीलदार गोहद के व्यवस्थापन आदेश  
दिनांक 28.4.95 के विरुद्ध कलेक्टर ने 2-8-99 को यानि  
04 वर्ष 03 माह वाद निगरानी प्रकरण दर्ज किया है। प्रताप  
सिंह तथा एक अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य 1997 रा0नि0  
219 न्यायमूर्ति श्री एस0एस0झा (हा0को0) का दृष्टांत है  
कि जमीन पर संबत 2006 से कब्जा होने पर अनुविभागीय  
अधिकारी ने 21-4-72 को नाम दर्ज करने के आदेश दिये।  
कलेक्टर ने 07 वर्ष वाद स्वप्रेरणा से वादी का नाम विलोपित  
करने का आदेश दिया एवं नाम विलोपित किया गया।  
न्यायालय द्वारा विलम्ब से पुनरीक्षण को अनुचित मानते हुये  
वादी के पक्ष में डिक्री पारित की। विचाराधीन प्रकरण में  
आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 पारित करते समय  
अनुचित विलम्ब के तथ्य पर विचार होना दृष्टि ओझल होने  
से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है।

B/A

M

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1012 -एक/2016 पुनरावलोकन

जिंसा भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
	<p>क्योंकि कलेक्टर भिण्ड ने नायब तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 28-4-1995 के विरुद्ध 04 वर्ष 03 माह वाद अनुचित विलम्ब से निगरानी दायर करके वर्ष 1999 में व्यवस्थापन निरस्त किया है जो अनुचित विलम्ब से है क्योंकि मान० न्यायालयों ने निगरानी के लिये एक वर्ष की अवधि को भी आयुक्तियुक्त माना है। इसी प्रकार के दृष्टांत लखन तथा अन्य विरुद्ध म०प्र०राज्य 1990 रा.नि. 214 तथा संता चमार विरुद्ध ललवा चमार 1990 रा.नि. 90 में हैं।</p> <p>5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार, कि भूमि व्यवस्थापित होने के वाद आवेदक ने मेहनत करके भूमि को उपजाउ बनाया है और सिंचाई का साधन कर लिया है जिसमें उसके काफी रूपये खर्च हो गये हैं, पर विचार किया जाय- इन्द्र सिंह तथा अन्य विरुद्ध म०प्र०राज्य 2009 रा०नि० 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार देवी प्रसाद विरुद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आपत्ति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्द</p>	

प्र०क० 1012-एक/2016 पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता और यही तथ्य आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2016 पारित करते समय दृष्टिओझल रहने से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2352-चार/2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्र०क० 2/1999-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000, कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 2223/1998-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-9-99 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं नायब तहसीलदार गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 51 अ-19/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 28-4-1995 स्थिर रखा जाता है।

  
सदस्य

B/gu